अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

हृद् तंत्रिका केन्द्र

अंसारी नगर, नई दिल्ली - 110029.

फा.सं. **2-4/98-स्था.** (ह्.तं.कें.)

अंसारी नगर,नई दिल्ली-**29.**

दिनांक : 29 MAY 2013

प्रेस सूचना

सभी को यह ज्ञात हो कि श्री हंसराज सिंह, अस्पताल परिचर ग्रेड- III सुपुत्र श्री प्रेम चंद, निवासी, बी-50, राजपुर खुर्द, नई दिल्ली - 110068 ने हृद् तंत्रिका केन्द्र, अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली में अस्पताल परिचर के रूप में दिनांक 01.01.1996 को टेम्परेरी स्टेट्स पर तथा दिनांक 06.11.199 को नियमित आधार पर कार्य भार ग्रहण किया था।

वह सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति/अनुमोदन के बिना अपनी ड्यूटी से दिनांक **09.04.2012** से जानबूझकर तथा अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। उन्हें उनके द्वारा उपलब्ध करवाए गए पते पर कई नोटिस भेजे गए जिसमें उन्हें तत्काल अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। परंतु उन्होंने किसी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहना जारी रखा। इसके बाद उन्हें दिनांक 09.04.2012 से अपनी ड्यूटी से जानबूझकर अनुपस्थित रहने के कारण केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1965 के नियम 14 के अन्तर्गत दिनांक 03.11.2012 के ज्ञापन सं. **2-4/98-स्था.** (ह्.तं.कें.) के माध्यम से आरोप-पत्र प्रदान किया गया।

श्री हंसराज सिंह, अस्पताल परिचर ग्रेड- III के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी, अ.भा.आ.सं. द्वारा जॉच आरंभ की गई। उनके सभी उपलब्ध पतों पर उनसे संपर्क करने के अथक प्रयासों के बावजूद उन्होंने अनुशासनिक कार्यवाही में भाग नहीं लिया। जॉच पूरी कर ली गई और दिनांक 05.03.2013 को जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । जॉच अधिकारी द्वारा उन पर लगाए गए आरोप साबित पाए गए।

अब, इसलिए इस प्रेस सूचना के माध्यम से श्री हंसराज सिंह, अस्पताल परिचर ग्रेड-III को एतद्द्वारा एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि यदि उनका सेवा संबंधी कोई दावा अथवा हित है अथवा जॉच अधिकारी के निष्कर्षों के विरूद्ध कोई अभ्यावेदन करना चाहते हैं तो वे इस सूचना के प्रकाशित होने के **15** दिनों के भीतर कर सकते हैं, ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि वह उपर्युक्त तथ्य पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं और उन पर दण्ड अधिरोपित करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा जो कि केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियमावली,**1965** के अन्तर्गत उनकी सेवा समाप्ति हो सकता है।

अनुशासनिक प्राधिकारी के नाम से तथा

उनके आदेश द्वारा